



Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMP'S DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : SIKAR

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-09-2022 5:12 PM

| | | | |
|----------------------|---|------------------------------|-------------------|
| Fee Receipt No. | : 202202327026613 | Receipt Date | : 14/09/2022 |
| Name | : GOVINDAM SHIKSHA EVAM ANUSANDHAN SAMITI TH SECRETARY MADAN LAL DHAKA, | Document S. No. | : 202201327026068 |
| Address | : . . SIKAR ,SIKAR ,SIKAR | | |
| Document Type | : Rajasthan Land Revenue Act, 1956 under 90A | | |
| Face Value | : ₹ 940740 | Evaluated Value | : ₹ 11039708 |
| Ord-Registration Fee | : ₹ 9408 | Fee for Memorandum Us_64_67 | : ₹ |
| CSI | : ₹ 300 | Certified copying fees Us_57 | : ₹ 0 |
| Stamp (Memorandum) | : ₹ | Reg (memorandum) | : ₹ |
| Surcharge | : ₹ 16935 | Stamp Duty | : ₹ 56445 |
| Penalty | : ₹ 0 | Inspection fee | : ₹ 0 |
| Us_25_34 | : ₹ 0 | Commission | : ₹ 0 |
| Custody | : ₹ | Others | : ₹ 0 |
| | | Cash Amount Received | : ₹ 0 |
| | | Other than Cash | : ₹ 83088 |
| | | Total Amount | : ₹ 83088 |

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

eStamp IN-RJ70405277625397U ₹ 73380 # e-Gras Challan 66589373 ₹ 9708

Signature of presenter or applicant for
copy of Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return of certificate

SUB-REGISTRAR



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan



e-Stamp

मनोज कुमार पुत्र श्री बदी प्रसाद
स्टाम्प विक्रेता अनुज्ञा पत्र सं. 03/8
मुद्रांक विक्रेता स्थल:- कोर्ट परिसर, सीकर
स्थायी पता:- मोहल्ला खातीयान, सीकर
मोबाईल नम्बर- 9414039425

Certificate No. : IN-RJ70405277625397U

Certificate Issued Date : 14-Sep-2022 05:04 PM

Account Reference : NONACC (SV)/ rj3001304/ SIKAR/ RJ-SK

Unique Doc. Reference : SUBIN-RJRJ300130430709381381401U

Purchased by : GOVINDAM SHIKSHA EVAM ANUSANDHAN SAMITI

Description of Document : Article 33 The lease deed issued in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956

Property Description : SIKAR

Consideration Price (Rs.) : 0
(Zero)

First Party : NAGAR SUDHAR NYAS SIKAR

Second Party : GOVINDAM SHIKSHA EVAM ANUSANDHAN SAMITI

Stamp Duty Paid By : GOVINDAM SHIKSHA EVAM ANUSANDHAN SAMITI

Stamp Duty Payable (Rs.) : 56,445
(Fifty Six Thousand Four Hundred And Forty Five only)


Surcharge for Infrastructure Development (Rs.) : 5,645
(Five Thousand Six Hundred And Forty Five only)

Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.) : 5,645
(Five Thousand Six Hundred And Forty Five only)

Surcharge for Relief from Natural and Man-made Calamities (Rs.) : 5,645
(Five Thousand Six Hundred And Forty Five only)

Stamp Duty Amount(Rs.) : 73,380
(Seventy Three Thousand Three Hundred And Eighty only)

Signature



PU 0002141454

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shikshaevamrajasthan.gov.in or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

उप पंजीयक एवं मुद्रांक
सीकर



Warning



"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence"

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."



00000000

SITE PLAN OF LAND KH. NO.1701/990 AT VILL. NANI

LEASE HOLDER

गोविन्दम शिक्षा एवम् अनुसंधान समिति, पालवास रोड़,
सीकर जरिये सचिव मदन लाल ढाका पुत्र श्री देवाराम
नि. ढाणी मंगलदास, तह. लक्ष्मणगढ़, सीकर

KHASRA NO.

1701
990

AREA

6326.48 Sq.Mtrs.


REVENUE VILL.

नानी

SCALE

1:1000

NOTE:- ALL DIMENSION ARE IN METER



AREA DETAILS:-

TOTAL AREA FOR AS PER REVENUE RECORD = 6477.00 SQ.MTR.
AREA SURR. IN SECT. PLAN ROAD = 150.52 SQ.MTR.
REMAINING AREA FOR LEASE / PATTA (A.B.C.D.E.) = 6326.48 SQ. MTR

क्रमांक 3719 दिनांक 14-09-2022
पट्टा विलेख नवीनीकृत किया गया।


राजपाल यादव (RAS)
सचिव
नगर विकास न्यास, सीकर

A.T.P.
उप नगर नियोजक
नगर सुधार न्यास, सीकर

Secretary
सचिव
नगर विकास न्यास

URBAN IMPROVEMENT TRUST
SIKAR

उप पंजीयक
पंजीयक एवं मुद्रांक
सीकर



Presentation Endorsement

आज दिनांक 14 माह 09 सन् 2022 को 05:07 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री GOVINDAM SHIKSHA EVAM ANUSANDHAN SAMITI
TH SECRETARY MADAN LAL DHAKA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DEVARAM
उम्र 46 वर्ष, जाति 0-JAT, व्यवसाय Other
निवासी House No.:., Colony: SIKAR, Area: DHANI MANGALDAS
TEHSIL LAXMANGARH DISTT. SIKAR, City: SIKAR, Pin code:
332311, District: SIKAR, State: RAJASTHAN
मे मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202201327026068

Lease deed after regularization under 90A

हस्ताक्षर उप पंजीयक
SIKAR
पंजीयक एवं मुद्रांक
सीकर

Fees Receipt Endorsement

| | |
|---------------------|-----------------|
| रसीद नं. | 202202327026613 |
| दिनांक | 14-09-2022 |
| पंजीयन शुल्क ₹ | 9408 |
| प्रतिलिपि शुल्क ₹ | 0 |
| पृष्ठांकन शुल्क ₹ | 300 |
| अन्य शुल्क ₹ | 0 |
| कमी स्टाम्प शुल्क ₹ | 56445 |
| कमी सरचार्ज शुल्क ₹ | 16935 |
| कुल योग | 83088 |

202201327026068

Lease deed after regularization under 90A

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

eStamp IN-RJ70405277625397U ₹
73380 # e-Gras Challan 66589373 ₹
9708

हस्ताक्षर उप पंजीयक
SIKAR
पंजीयक एवं मुद्रांक
सीकर



Endorsement of Execution

| अनु क्र. | पक्षकारों का नाम व पता | छायाचित्र | अंगूठा | पक्षकारों का प्रकार |
|----------|---|-----------|--------|---|
| 1 | श्री/श्रीमती/सुश्री NAGAR SUDHAR NYAS SIKAR, पुत्र/पुत्री/पति श्री SECRETARY, व्यवसाय जाति Nagar Sudhar Nyas | | | Executant Age : 0 Signature : |
| 2 | श्री/श्रीमती/सुश्री GOVINDAM SHIKSHA EVAM ANUSANDHAN SAMITI TH SECRETARY MADAN LAL DHAKA, पुत्र/पुत्री/पति श्री DEVARAM, व्यवसाय Other जाति 0-JAT House No.:., Colony: SIKAR, Area: DHANI MANGALDAS TEHSIL LAXMANGARH DISTT. SIKAR, City: SIKAR, Pin code: 332311, District: SIKAR, State: RAJASTHAN | | | Claimant Age : 46 Signature : |

ने लेख्यपत्र Lease deed after regularization under 90A को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रु 940740/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 940740/- पूर्व में ----- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है, जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

| अनु क्र. | गवाहों का नाम व पता | छायाचित्र | अंगूठा | हस्ताक्षर |
|----------|--|-----------|--------|---------------|
| 1 | Name: श्री/श्रीमती/सुश्री MANOJ, पुत्र/पुत्री/पति श्री RAM KUMAR जाति JAT Age: 44 Add: House No.:., Colony: SIKAR, Area: JANTA COLONY, NAWALGARH ROAD, SIKAR, City: SIKAR, Pin code: 332001, District: SIKAR, State: RAJASTHAN | | | Signature |
| 2 | Name: श्री/श्रीमती/सुश्री MUKESH, पुत्र/पुत्री/पति श्री DAYARAM जाति JAT Age: 26 Add: House No.:., Colony: SIKAR, Area: WARD NO. 56, NAWALGARH ROAD, SIKAR, City: SIKAR, Pin code: 332001, District: SIKAR, State: RAJASTHAN | | | Signature |

202201327026068

Lease deed after regularization under 90A

उप पंजीयक SIKAR
उप पंजीयक एवं मुद्रांक
सीकर

क्रमांक 3719

नगर सुधार न्यास, सीकर

पट्टा विलेख नवीनीकृत किया गया

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2019 के माह अप्रैल के 22

वे दिन नगर सुधार न्यास, सीकर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है)

प्रथम पक्ष एवं श्री गोविन्दम बिसा म्म अनुसंधान समिति पालवास

पुत्र श्री केदाराम जाति जाट व्यवसाय शोधक, सीकर

निवासी डा. 1701/790 जिला सीकर

किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके द्वारा अधिकारी निबंधक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना


राजस्व ग्राम नारी के खसरा संख्या 1701/790 क्षेत्रफल 6326.48 वर्ग मीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये सात लाख तियासी हजार नौ सौ दियालीस के पैसे 783946/- मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के समूह के मूल्य से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धिप्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि:- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल सार्वजनिक प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-20 के अन्तर्गत बढा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व अधिनियम के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।



पंजीयक एवं मुदाब
सीकर

Handwritten signature or initials.



9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उत्तलघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपरदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार को मुकरामी के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।
- * जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : सीडर
 राजस्व ग्राम : नादी
 खसरा नम्बर : 1701
 योजना का नाम : 990
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल
 वर्ग गज/मीटर 63.26.48 वर्ग मीटर
 इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

पूर्व ख. नं. 989 की भूमि पश्चिम ख. नं. 1699 की भूमि
 भूखण्ड की संख्या ख. नं. 1701 यदि कोई हो
पट्टा भूमि 990
 सीमा उत्तर रास्ता 18 मीटर दक्षिण ख. नं. 1702 की भूमि
990
 मानचित्र संलग्न है।

नगरीय निकाय की ओर से



2019 के माह 04 के 22 वें दिन श्री सचिव नगर विकास न्यास सीडर
 ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये -
क्रमांक 3719 दिनांक 14-09-2022
 पट्टा विलेख नवीनीकृत किया गया।

[Signature]
 (सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
सचिव
 नगर निकाय-प्रथम पक्ष
नगर विकास न्यास
सीडर

राजपाल चौधरी (RAS)
सचिव

- साक्षी :-
1. नाम जगदीश चौधरी पुत्र श. श्री महाशय चन्द चौधरी
 व्यवसाय नौकरी निवास स्थान सीडर
[Signature]
 साक्षी के हस्ताक्षर
2. नाम सुनिल कुमार शाली पुत्र श्री मदन लाल शाली
 व्यवसाय नौकरी निवास स्थान सिहोर डोरी सीडर
[Signature]
 साक्षी के हस्ताक्षर

आज गुरुवार सन् 2019 के माह 04 के 25 वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री गोविन्दम्
रियास स्वयं अनुसंधान समिति लीजधारक द्वारा कार्यालय P.I.T. में हस्ताक्षर किये गये।
पालवास रोड सीडर परिषद सचिव मदन लाल शाली

[Signature]
 लीजधारक - द्वितीय पक्ष

1. नाम सहेरा इमर बेलानिया पुत्र श्वरजा राम शोलानिया
 व्यवसाय नौकरी निवास स्थान वाड नं. 20 महवोली सीडर
[Signature]
 साक्षी के हस्ताक्षर
2. नाम सुरेन्द्र शर्मा पुत्र सुखदेवा राम
 व्यवसाय नौकरी निवास स्थान सीडर
[Signature]
 साक्षी के हस्ताक्षर